



# माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक /1330/ वित्त / 2023-24 /

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2024


## संशोधित आदेश

महापरिषद समिति की बैठक दिनांक 24, जुलाई, 2023 में लिए गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालयीन आदेश क्रं.1330/वित्त/2016, में एतद् द्वारा संशोधन किया जाकर वित्तीय अधिकारों का प्रत्यारोपण निम्नानुसार किया जाता है:-

स.क्रं.	पद	पूर्व में दिये गये अधिकार सीमा	नवीन अधिकार सीमा
01.	माननीय कुलपति	रूपये 10 लाख तक	रूपये 20 लाख तक
02.	कुलाधिसचिव	रूपये 2,00,000/- तक	रूपये 5,00,000/- तक
03.	कुलसचिव	रूपये 50,000/- तक	रूपये 1,00,000/- तक
04.	विभाग प्रमुख (शैक्षणिक)	रूपये 5000/- तक	रूपये 10,000/- तक
05.	निदेशक (ए.एस.आई.)	रूपये 5000/- तक	रूपये 10,000/- तक
06.	वित्त अधिकारी	रूपये 5000/- तक	रूपये 10,000/- तक
07.	परीक्षा नियंत्रक	रूपये 5000/- तक	रूपये 10,000/- तक
08.	विभाग प्रमुख (गैर शैक्षणिक एवं परिसर प्रभारी)	रूपये 3000/- तक	रूपये 5000/- तक

(अ) सरल क्रमांक 01 से 03 के लिए वित्तीय अधिकार से अभिप्राय समस्त प्रस्तावों जैसे सामग्री क्रय प्रस्ताव, अग्रिम भुगतान प्रस्ताव, अग्रिमों के विरुद्ध व्यय समायोजन प्रस्ताव, समस्त प्रकार के कार्यालय व्ययों यात्रा देयक भुगतान प्रस्ताव को नियमानुसार प्रदत्त वित्तीय अधिकार सीमा में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार से है।

(ब) सरल क्रमांक 04 से 08 के लिए वित्तीय अधिकार से अभिप्राय आकस्मिक भुगतान प्रस्ताव को नियमानुसार प्रदत्त वित्तीय अधिकार सीमा में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार से है।

  
(प्रो.अविनाश वाजपेयी)  
कुलसचिव

Mil



# माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

.....2.....

पृ.क्र./.....1.2.21.../वित्त/2023

भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2024

1. माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
2. निदेशक, सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएं को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. समस्त शाखा प्रभारियों को सूचनार्थ।
6. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
7. प्रभारी खण्डवा परिसर को सूचनार्थ।
8. प्रभारी रीवा परिसर को सूचनार्थ।
9. प्रभारी दतिया परिसर को सूचनार्थ।
10. आदेश पुस्तिका।

(प्रो.अविनाश वाजपेयी)

कुलसचिव

Mil